



2026:AHC-LKO:2650-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

विशेष अपील संख्या - 7 सन 2026

सौरभ पांडे

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

भारत संघ द्वारा सचिव वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा जीवन विभाग एवं 4
अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	गौरव गुप्ता, ज्योति राजपूत
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया, अश्वनी कुमार सिंह, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, चन्द्र शेखर सिन्हा, कपिश श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. अपीलकर्ता द्वारा दायर पूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. भारत संघ - प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार सिंह और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री चंद्र शेखर सिन्हा द्वारा दायर वकालतनामा अभिलेख पर ले लिया गया है।
3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को, श्री अश्वनी कुमार सिंह, भारत संघ - प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता को, श्री चंद्र शेखर सिन्हा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता को तथा राज्य - प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
4. सभी पक्षों की बात सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 06.05.2025 का आदेश, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट न्यायालय में चुनौती दी गई थी, वास्तव में प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 18 के तहत अपील योग्य था, क्योंकि यह प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित किया गया आदेश था और अपील करने के बजाय रिट याचिका दायर की गई थी।
5. हमने आक्षेपित आदेश का अध्ययन किया है। हमने पाया कि प्रस्तर 6 में प्रतिवादियों द्वारा रिट न्यायालय के समक्ष दिए गए उस कथन का उल्लेख है कि अंतरिम राहत आवेदन पहले ही खारिज कर दिया गया था, जबकि हमें अंतरिम राहत आवेदन की कोई पूर्व अस्वीकृति नहीं मिली है। एकमात्र विचारणीय आदेश दिनांक 06.05.2025 का है और संभवतः उसके बाद का है, अतः यह उल्लेख तथ्यात्मक रूप से गलत है। दिनांक 06.05.2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। प्रतिवादियों द्वारा रिट न्यायालय के समक्ष दिए गए अन्य कथन के संबंध में कि पहले वसूली कार्यवाही को रिट याचिका संख्या 5856/2025 के माध्यम से चुनौती दी गई थी, हमने उक्त रिट याचिका के अभिलेखों को तलब किया था। हमने पाया कि उसमें प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के बंधक रखे गए मकान पर एक निश्चित तिथि तक शांतिपूर्ण कब्जे को भंग न करने की सहायक प्रार्थना भी शामिल थी। अतः, दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होते हैं। आक्षेपित आदेश में इस टिप्पणी के संबंध में कि रिट याचिका नीलामी खरीदार द्वारा कब्जे की मांग करते हुए दायर की गई थी, स्पष्ट रूप से, यदि कोई उधारकर्ता का अधिकार है, तो वह केवल नीलामी खरीदार द्वारा दायर याचिका में रिट न्यायालय द्वारा जारी किसी निर्देश के कारण समाप्त नहीं होगा, विशेषकर तब जब उक्त रिट याचिका में अपीलकर्ता को सुना ही नहीं गया था।

6. किसी भी स्थिति में, हमने आगे की कार्यवाही नहीं की क्योंकि वैधानिक उपाय उपलब्ध होने के कारण रिट याचिका पर विचार ही नहीं किया जाना चाहिए था। अतः, हम इस अपील का **निस्तारण** इस टिप्पणी के साथ करते हैं कि यदि इस संबंध में कोई अन्य कानूनी बाधा न हो, तो अपीलकर्ता रिट न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित रहते हुए, प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 18 के अंतर्गत दिनांक 06.05.2025 और 29.07.2025 के आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकता है।

[न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

जनवरी 13, 2026

अर्निमा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।